



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
REGIONAL LABOUR INSTITUTE, KOLKATA.
(INDUSTRIAL SAFETY DIVISION)

Training programme on 'Introduction to BoCW (RE & CS) Act, 1996 for Construction Supervisors' on 13th March 2026

ABOUT THE COURSE

The construction industry is one of the most hazardous sectors, involving high-risk activities such as working at heights, handling heavy materials, operating machinery, and exposure to unsafe working conditions. To safeguard the health, safety, and welfare of construction workers, the Government of India enacted the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, commonly known as the BoCW Act..

For Construction Supervisors, understanding the BoCW Act is critical. Supervisors play a key role in implementing safety measures at site, ensuring use of personal protective equipment (PPE), reporting hazards, preventing unsafe practices, and maintaining compliance with statutory norms.

This training provides supervisors with a understanding of the Act, its rules, and their responsibilities to protect workers and prevent legal non-compliance.

OBJECTIVE

The objective of this Training programme is to elaborate the concept of Safety in Construction. This training program is intended to enable the participants to identify the hazards and assess the associated risks specific to these processes and prioritize them.

COURSE HIGHLIGHT

- National policy on Safety, Health and Environment at workplace.
- Salient features of BOCW Act and concerned rule.
- Safety provisions for working at height.
- Safety videos related to construction work.

PARTICIPATION

Safety Managers, Safety Officers, Safety Professionals and Engineers connected with Construction Site/ Industry or anyone interested to attend the program.

DATE AND TIMINGS

13th March, 2026
from 10.00 to 1700 hrs.

VENUE

Conference Room of Regional Labour Institute,
Lake Town, Kolkata, WB-700089

ADMINISTRATIVE DETAILS

Institution fee @ Rs 3000/- (Rs Three thousand only)per participant through Bharatkosh portal (<https://bharatkosh.gov.in>) may be deposited online by using the following steps **after nomination confirmed from Course Coordinator**. Institution fee does not include any refreshment.

Payment procedures:

Log in to

<https://bharatkosh.gov.in> / Quick

Payment

Ministry: 021 Labour & Employment

Purpose: Training Fee or Course fee of the workshop conducted

Pay & Account Office (PAO): 030263-PAO (DGFASLI), Mumbai

DDO Code: 130269 (Administrative Officer Regional Labour Institute, Kolkata.

Remarks:

NOMINATION

Nomination may be sent by email to the Director (IH), Industrial Hygiene Division, Regional Labour Institute, Kolkata, WB -700089, on or before **6th March, 2026**.

Admission to the programme is subject to confirmation from this Institute.

Course Coordinator:

Shri G.Sibananda, Asst. Director (Safety).

Mobile: No - 8953897880

E-mail : rli.kolkata@dgfasli.nic.in and
gs@dgfasli.nic.in

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

**Training programme on
'Introduction to BoCW (RE & CS) Act, 1996 for
Construction Supervisors'**

(13th March, 2026)

AT

REGIONAL LABOUR INSTITUTE, LAKE TOWN, KOLKATA, WB-700089

PARTICIPANT'S DETAILS

Name (Block Letters) :
Designation :
Address for Communication :
Age :
Qualification :
Total Experience :
Mobile No. :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :
Telephone No. / Mobile No. :
E-mail :
Fax No. :

Accommodation : Required / Not Required

PAYMENT DETAILS : **bharatkosh receipt number** **date.**

BELONGS TO :- :

(GEN / SC / ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

SIGNATURE



भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कोलकाता
(औद्योगिक सुरक्षा प्रभाग)

निर्माण पर्यवेक्षकों के लिए BOCW (RE & CS)
अधिनियम, 1996 का परिचय: विषय पर
प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक: 13 मार्च 2026

पाठ्यक्रम के बारे में

निर्माण उद्योग सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में से एक है, जहाँ ऊँचाई पर कार्य करना, भारी सामग्री संभालना, मशीनरी का संचालन करना तथा असुरक्षित कार्य परिस्थितियों का सामना करना जैसी उच्च-जोखिम गतिविधियाँ शामिल होती हैं। निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए भारत सरकार ने Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 लागू किया, जिसे सामान्यतः BoCW अधिनियम के नाम से जाना जाता है।

निर्माण पर्यवेक्षकों के लिए BoCW अधिनियम की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यवेक्षक साइट पर सुरक्षा उपायों को लागू करने, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) के उपयोग को सुनिश्चित करने, खतरों की रिपोर्टिंग करने, असुरक्षित प्रथाओं को रोकने तथा वैधानिक मानकों के अनुपालन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह प्रशिक्षण पर्यवेक्षकों को अधिनियम, उसके नियमों तथा श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनी अनुपालन में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने हेतु उनकी जिम्मेदारियों की स्पष्ट समझ प्रदान करता है।

उद्देश्य

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण कार्य में सुरक्षा की अवधारणा को विस्तार से समझाना है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को संबंधित कार्य प्रक्रियाओं से जुड़े खतरों की पहचान करने, उनसे संबंधित जोखिमों का आकलन करने तथा उनकी प्राथमिकता निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है।

कोर्स की विशेषताएँ

- कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति।
- BOCW अधिनियम एवं संबंधित नियमों की प्रमुख विशेषताएँ।
- ऊँचाई पर कार्य करने के लिए सुरक्षा प्रावधान।
- निर्माण कार्य से संबंधित सुरक्षा वीडियो

भागीदारी

निर्माण स्थल/उद्योग से जुड़े सुरक्षा प्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा विशेषज्ञ और इंजीनियर या कोई भी इच्छुक व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है।

तिथि और समय

13, मार्च 2026
सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक।

कोर्स समन्वयक:

श्री जी. सिबानंद, सहायक निदेशक (सुरक्षा)
मोबाइल: नं - 8953897880

ई-मेल: rli.kolkata@dglasli.nic.in और
gs@dglasli.nic.in

स्थान

क्षेत्रीय श्रम संस्थान का सम्मेलन कक्ष, लोक टाउन, कोलकाता,
प. बंगाल - 700089

प्रशासनिक विवरण

प्रत्येक प्रतिभागी के लिए संस्थान शुल्क ₹3000/- (केवल तीन हजार रुपये) भारतीकोष पोर्टल (<https://bharatkosh.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, नामांकन की पुष्टि पाठ्यक्रम समन्वयक से प्राप्त होने के बाद निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके। संस्थान शुल्क में कोई भी जलपान शामिल नहीं है।

भुगतान प्रक्रिया:

<https://bharatkosh.gov.in> पर लॉग इन करें /
क्लिक पेमेंट

मंत्रालय: 021 श्रम और रोजगार

उद्देश्य: प्रशिक्षण शुल्क या कार्यशाला का
पाठ्यक्रम शुल्क

भुगतान और लेखा कार्यालय (PAO): 030263-
PAO (DGFASLI), मुंबई

DDO कोड: 130269 (प्रशासनिक अधिकारी,
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कोलकाता)।

टिप्पणी:

नामांकन

नामांकन 6 मार्च, 2026 से पहले या उसी दिन तक
ईमेल द्वारा निदेशक (आईएच), औद्योगिक स्वच्छता
विभाग, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कोलकाता, प. बंगाल -
700089 को भेजा जा सकता है।
कार्यक्रम में प्रवेश इस संस्थान से पुष्टि के अधीन है।

नामांकन-कम-रजिस्ट्रेशन फॉर्म

प्रशिक्षण कार्यक्रम पर

**“निर्माण पर्यवेक्षकों के लिए BOCW (RE & CS) अधिनियम, 1996
का परिचय”**

(13 मार्च, 2026)

स्थान

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, लेक टाउन, कोलकाता, प. बंगाल – 700089

प्रतिभागी का विवरण

नाम (ब्लॉक अक्षरों में) :

पदनाम :

संपर्क का पता :

आयु :

योग्यता :

कुल अनुभव :

मोबाइल नं. :

प्रायोजक संगठन का विवरण

नाम और पता :

टेलीफोन नं. / मोबाइल नं. :

ई-मेल :

फैक्स नं. :

भुगतान विवरण : भारत कोष रसीद संख्या दिनांक किस संबंधित है :- :
(सामान्य / एससी / एसटी / ओबीसी / पीएच / उत्तर-पूर्वी क्षेत्र*)

हस्ताक्षर